



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27665

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 1795 वर्ष 2026

कॉन्स्टेबल पीएसी प्रिंस कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अरविंद कुमार तिवारी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार तिवारी अंतर्निहित त्रुटि के कारण, नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वर्तमान रिट याचिका वापस लेना चाहते हैं।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. तदनुसार, रिट याचिका पूर्वोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।
4. आज प्रस्तुत किए गए निर्देशों को अभिलेख पर लिया जाता है और उन्हें परिशिष्ट 'ए' के रूप में अंकित किया जाता है।

9 फरवरी, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"